

प्रेस नोट

थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी

दिनांक- 06.10.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर जान से मारने की धमकी देने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी, श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा पीड़िता के साथ शादी झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व पीड़िता द्वारा मना करने पर गाली गलौज कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने के संबंध में थाना सीपरी बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 463/2026 धारा 69/352/351(3) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त- लल्लन उर्फ मुहम्मद रिजवान पुत्र जमील उम्र करीब 40 वर्ष निवासी आजाद नगर कोंच थाना कोंच जिला जालौन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.10.2026 को वादिया/पीड़िता उम्र करीब 33 वर्ष द्वारा थाना सीपरी बाजार पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक उत्पीड़न व शारीरिक सम्बन्ध बनाकर, शादी करने से इन्कार करते हुए, वादिया को गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

वादिया से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0 463/2026 धारा 69/352/351(3) बी0एन0एस0 बनाम लल्लन उर्फ मुहम्मद रिजवान पुत्र जमील उम्र करीब 40 वर्ष निवासी आजाद नगर कोंच थाना कोंच जिला जालौन पंजीकृत किया गया है। अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त- लल्लन उर्फ मुहम्मद रिजवान उपरोक्त को दिनांक 06.10.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा राजघाट कॉलोनी के पास, नहर पुलिया, थाना- सीपरी बाजार, जनपद- झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ किये जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसकी दोस्ती वादिया से करीब 04 माह पहले हुई थी। तभी से उसकी वादिया से जान पहचान है और वे लोग आपस में शारीरिक सम्बन्ध बनाते रहे। वह पहले से शादी शुदा था इसलिए उसने शादी करने से मना कर दिया था। इसलिए इन दोनों में विवाद हो गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- लल्लन उर्फ मुहम्मद रिजवान पुत्र जमील निवासी आजाद नगर कोंच थाना कोंच जिला जालौन उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री जय प्रकाश चौबे, थाना सीपरी बाजार
2. उ0नि0 श्री विनय कुमार चौकी प्रभारी मसीहागंज, थाना सीपरी बाजार
3. का0 1398 सुमित भारती, थाना सीपरी बाजार झाँसी।
4. का0 837 कुलदीप यादव, थाना सीपरी बाजार झाँसी।